न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

1- संतराम उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री देवसीराम जाति जाट निवासी चक-12 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

2- सुदेश कुमार उम्र-24 वर्ष पुत्र श्री राजाराम जाति जाट निवासी चक-12 ए. एस तहसील श्रीविजयनगर जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

3- पृथ्वीराज उम्र 60 वर्ष पुत्रश्री देवसीराम जाति जाट निवासी चक-12 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर जिला-श्रीगंगानगर (राज0) जरिए मुखत्यारेआम राकेश जाखड़ पुत्रश्री संतराम जाति जाट निवासी चक-12 ए.एस तहसील श्रीविजयनगर जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

4- राकेश जाखड़ उम्र-34 वर्ष पुत्र श्री संतराम जाति जाट निवासी चक-12 ए. एस तहसील श्रीविजयनगर जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

..... प्रार्थीगण.....

बनाम-

1- बलराम उम्र 35 वर्ष पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक-15 ए.एस (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

3- गिरदावरी देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी चक-15 ए. एस(ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

4- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला राजस्थान सरकार अनूपगढ

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति- 01. श्री साहिब बाघला, वकील प्रार्थीगण
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी)

राजस्व प्रकरण संख्या - 77/2022 निर्णय दिनांक - 9/12/24

(जी.सी.एम.एस.-2024/110)

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि -

वाके चक 12 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-44 पत्थर सं-216/470 का किला नं-1/1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1. 6/2, 7, 8, 10/2 मे 2.4800 हैक्टर कमाण्ड मय खाला प्रार्थी सं-1 संतराम के नाम से, कृषि भूमि वाके चक-12 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-26 पत्थर सं-216/468 का किला नं-10/1, 11/3, 15, 16, 17, 18, 20/2, 21/2, 22 ता 25 मे 3.1370 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी सं-1 व प्रार्थी सं-4 राकेश कुमार के नाम से 1/2-1/2 हिस्सा सयुंक्त खाता मे, मुरब्बा नं-44 पत्थर सं-216/470 मे किला नं-25/1, 25/2 व मुरब्बा नं-45 पत्थर सं-216/471 का किला नं-4, 5/1,5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2 कुल 1.7710 हैक्टर कमाण्ड मय खाला प्रार्थी सं-3 पृथ्वीराज, कृषि भूमि वाके चक-12 ए.एस

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसील श्रीविजयनगर का मुरब्बा नं-27 पत्थर सं-216/469 का किला नं-1/2, 2, 3, 4,5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 व मुरब्बा नं-45 पत्थर सं-216/471 का किला नं-16/1, 16/2, 17, 18, 21/2, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 मे कुल 8.1960 हैक्टर कमाण्ड खाला रकबा प्रार्थी सं-2 सुदेश के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपनी-2 कृषि भूमि मे नरमे की फसल बिजांद कर रखी है। प्रार्थी सं-4 प्रार्थी सं-3 का मुखत्यारेआम नियुक्त है। वाके चक-15 ए.एस(ए) तहसील श्रीविजयनगर मुरब्बा नं-37 मे किला नं-2 ता 14, 20 के 14 बीघा प्रार्थी सं-1 संतराम के नाम से, इसी मुरब्बा नं-37 के किला नं-15 ता 18 अप्रार्थी सं-1 बलराम के नाम से दर्ज है जिसमे से किला नं-25 मे अप्रार्थी सं-1 बलराम ने अपनी रिहायशी ढाणी बना रखी है व मुरब्बा नं-37 का किला नं-1, मुरब्बा नं-48 पत्थर सं-217/471 का किला नं-5, 6, 15, 16, 25/1 अप्रार्थीया सं-2 के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके किला नं-5 मे अप्रार्थीया सं-2 ने रिहायशी ढाणी बना रखी है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करते कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक-12 ए.एस व प्रार्थी सं-1, अप्रार्थीगण सं-1 वा 2 की कृषि भूमि चक-15ए.एस (ए) के मध्य स्वीकृत रास्ता है जो दक्षिण दिशा से चल कर उत्तर दिशा की तरफ जाते हुऐ मुख्य सड़क से जोड़ता है। उक्त रास्ता अप्रार्थीया सं-2 की कृषि भूमि के किला नं-5, 6, 15, 16, 25 व अप्रार्थी सं-1 की कृषि भूमि के किला नं-15, 16, 25 के साथ चिपता हुआ निकलता है। अप्रार्थीया सं-2 की कृषि भूमि मुरब्बा नं-48 के किला नं-25 मे सरकारी विद्यालय बना हुआ है। प्रार्थीगण तथा उक्त सरकारी विद्यालय के बच्चे उक्त स्वीकृत रास्ते का ही उपयोग करते आ रहे है तथा इसके अलावा आसपास के गांवो के बच्चे जो शहर के विद्यालयो मे पढते है, उनके विद्यालयो के वाहन भी इसी रास्ता से आते जाते है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थीगण जो कि आपस मे माता व पुत्र है। अप्रार्थीगण जो कि झगडालु प्रवृति के है तथा आऐ रोज रास्ता की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे रहते है। पूर्व मे भी अप्रार्थीगण सं-1 वा 2 ने कई बार रास्ता की जगह पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था जिस पर प्रार्थीगण व अन्य कई व्यक्तियो ने अप्रार्थीगण को समझाने का प्रयास किया कि वह रास्ता की जगह पर अतिक्रमण मत करे, उक्त रास्ता से प्रार्थीगण, गांव के अन्य लोग व वच्चे विद्यालय आने जाने हेतु उपयोग करते है लेकिन इस पर अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो जाते है। अप्रार्थीगण सं-1 वा 2 ने रास्ता की जगह पर अतिक्रमण करने के अपने इस अवैध आश्य के चलते रास्ता की जगह पर अपनी-2 रिहायशी ढाणीयो को पीछे से रास्ता की तरफ बढ़ाते हुऐ कमरे व गैराज का निर्माण कर रहा है तथा शेष रास्ता की जगह पर मिट्टी डाल कर अवरूद्ध कर दिया है, रास्ते की जगह मे खाला ब[illegible] है जिस संबंध मे प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं-1 वा 2 को रास्ते [illegible] किए गए अवैध निर्माण व मिट्टी डाल कर किऐ गऐ अ[illegible] को हटाने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की कोई बात नही सुनी तथा लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो गऐ तथा अप्रार्थीगण सं-1 वा 2 प्रार्थीगण को कहने लगे कि तुं हमे रोकने वाले कोन होते हो, हम तो ऐसे ही करेगें, आपसे जो होता है कर लो। रास्ता सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:42:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तथा राजस्व रिकार्ड मे रास्ते का अकंन भी है तथा उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण, स्कूल के बच्चे व गांव के अन्य लोग भी करते है। लेकिन अप्रार्थीगण सं-1 वा 2 ने अवैध तरीके से रास्ते की जगह पर निर्माण कर व मिट्टी डाल कर अवरोध पैदा कर दिया है। जिस कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे आना जाना नही कर पा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि मे फसल की बिजांद कर रखी है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की जगह मे किए गए अवरोध को हटा कर रास्ता चालु नही करते है तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे आना जाना नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की समुचित सार संभाल नही कर पाएंगें। जिस कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि सार संभाल के अभाव मे नष्ट हो जावेगी जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण द्वारा बंद किऐ गए रास्ता को तुरंत प्रभाव से चालु करवाना चाहते है।
स्वीकृत रास्ते के दोनो तरफ प्रार्थीगण की कृषि भूमि है। स्वीकृत रास्ते का उपयोग उपभोग करना प्रार्थीगण का सवैधानिक अधिकार है। लेकिन अप्रार्थीगण ने स्वीकृत रास्ते पर अवरोध पैदा कर प्रार्थीगण के अधिकारो का हनन किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से मौका पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है तथा शांति भंग होने की पूर्ण आंशका है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकृत रास्ता मे अवरोध पैदा कर किए गए निर्माण को तुंरत प्रभाव से हटाया जाकर रास्ता को खुलवाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा अपने कार्यालय के पंत्राक 869 दिनांक 25.11.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर कथन किया कि चक 12 ए.एस के पत्थर नं. 216/470, पत्थर नं. 216/468, पत्थर नं. 216/471, पत्थर नं. 216/469 व चक 15 एएस-ए प.नं. 217/470 में प्रार्थीगण की कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। जबकि चक 15 AS-A प.नं. 217/470, 217/471 व 218/470 में अप्रार्थीगण व इनके पारिवारिक सदस्यों के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड है। चक 15 एएस-ए के प.नं. 217/471 के किला नं. 25/2 में 0.127 हे. रकबा राजकीय प्राथमिक पाठशाला के नाम दर्ज रिकार्ड है व मौके पर विद्यालय बना हुआ है। चक 12 एएस के प.नं. 216/469, 216/470, 216/471 प्रत्येक के किला नं. 1-10-11-20-21 में 2-2 बिस्वा (16.5) का गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है व मौके पर चालू है। चक 15 एएस-ए के प.नं. 217/470 किला नं-25 में व प.नं. 217/471 के कि.नं. 5 में अप्रार्थीगण ने रास्ते के चिपकते हुए अपनी रिहायशी ढाणी बना रखी है व प.नं. 217/471 में रास्ते के चिपता हुआ कच्चा सिंचाई खाला बना रखा है साथ ही रास्ते के किनारे पर खेजड़ी के व अन्य पेड़ भी खड़े हैं। प्रार्थीगण का निवेदन है कि रास्ते की भूमि में व्यवधान (मकान/खाला/पेड़) आदि जो है, उनको हटाया जावे और रास्ता चौड़ा किया जावे। मौका निरीक्षण में पाया गया कि रास्ता मौके पर पूर्णतः चालू है व रास्ते की भूमि पर कौन-कौन से व्यवधान है यह बाद सीमाज्ञान के ही संभव [illegible] पर फसल होने के कारण अभी संभव नहीं है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने भी स्पष्ट किया है कि धारा 151 सीपीसी का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब कानून में कोई उपचार उपलब्ध नही हो। न्यायालय धारा 151 सीपीसी के विशेष प्रावधानों का उपयोग तब तक नही कर सकता है जब तक कानून में कोई अन्य उपचार उपलब्ध हो। सीपीसी की धारा 151 केवल तभी लागू हो सकती है जब कानून में मौजूदा प्रावधानों के

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनुसार कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध ना हो। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि जो रिलिफ प्रार्थी द्वारा चाहा गया है वह धारा 251 के तहत् तहसीलदार के न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है। अतः पत्रावली इसी आधार पर खारिज कर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक .....21/12/24..... को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner